न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 07/2019 (अपील नामान्तरकरण)

GCMS No. 2019/00027

अनवान

1. श्री घनश्याम सिंह पिता सोहनसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री योगेन्द्र सिंह पिता भगवतसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री बहादुर सिंह पिता मानसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री विजय सिंह पिता माधुसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री शम्भुसिंह पिता मानसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री चतर सिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री कालुसिंह पिता सज्जन सिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री भगवत सिंह पिता देवी सिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री पर्वत सिंह पिता हडमतसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री परवत सिंह पिता डुंगरसिंह राजपुत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री लोकेश गहलोत, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री आलोक कुमार जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.12.01 17:44:31 IST
Reason: SelfAttested

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 225 दिनांक 12.07.1977 उप तहसीलदार सलुम्बर,

* निर्णय *

दिनांक– 27-11-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जाम्बुड़ा तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर की साबिक आराजी सख्या 473/1 मी. एवं हाल आराजी संख्या 566 रकबा 0.0500 हेक्टेयर का बाड़ा स्थित है। उक्त बाड़े की भूमि राज्य सरकार की थी, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पर कूड़ा करकट डालने एवं मवेशी के चारा इत्यादि रखने के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के प्रयोजन से निःशुल्क प्रदान किया गया था एवं निःशुल्क प्रदान करने से उक्त बाड़े का लगान नही है। इसके उपरान्त उप तहसीलदार सलुम्बर द्वारा नामान्तरकरण 225 दिनांक 12.07.1977 को गलत नामान्तरकरण स्वीकृत करते हुये बाड़ा गैर खातेदारी हक से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के तहत प्रदान किये गये बाड़ो मे गैर खातेदारी या तत्पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। इस संबध मे राज्य सरकार द्वारा परिपत्र के माध्यम से आदेश दिया है कि जिन व्यक्तियों के बाड़े पर गैर खातेदारी या खातेदारी अधिकारी प्रदान कर दिये गये है, उन्हें तत्काल निरस्त किया जावे। इस प्रकार उप तहसीलदार सलुम्बर द्वारा खोला गया कथित नामान्तरकरण विधि विपरीत होने से निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावे। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम एवं धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री आलोक जैन अधिवक्ता द्वारा वकालतपत्र पेश किया गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर धारा 5 मयाद अधिनियम एवं धारा 96 जा.दी पर जवाब पेश किया। बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट्स अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रकरण मे सर्वप्रथम धारा 5 मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। धारा 5 मयाद अधिनियम पर बहस प्रारंभ करते हुए अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि उप तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 12.07.1977 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 225 की जानकारी होने पर दिनांक 13.08.2019 को नामान्तरकरण की सत्यापित प्रति प्राप्त कर अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा जानबुझकर कोई विलम्ब नही किया गया है। अतः न्यायहित मे विलम्ब की अवधि को कण्डोन किया जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील मयाद बाहर होने एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.12.01 17:44:31 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध द्वेषतापूर्वक प्रस्तुत किये जाने से मयाद के बिन्दु पर ही अपील को खारिज किये जाने बाबत अनुरोध किया।

धारा 5 मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनने एवं रेकर्ड के अवलोकन उपरान्त अपीलान्ट्स द्वारा जानबुझकर विलम्ब किया हो, ऐसा प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित न होने से न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त को देखते हुए न्यायहित में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब अवधि कन्डोन किया जाना उचित समझते है। अतः मामले में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विलम्ब की अवधि कन्डोन की जाती है।

धारा 5 मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा मौजा जाम्बुड़ा, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 473/1 मी. के हाल नंबर 566 रकबा 0.0500 हेक्टेयर होना, किस्म बाड़ा होना, गलत तरीके से बाड़े को गैर खातेदारी के रूप मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधि विरूद्ध दिया जाना, राज्य सरकार के परिपत्र की पालना न होना आदि आधारो पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 12.07.1977 को निरस्त करने की मांग की एवं अपने समर्थन मे अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश क्रमांक प.12/3(6) राज/परिपत्र/07/1144 दिनांक 26.02.2007 की प्रति प्रस्तुत की गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुये अपील मे वर्णित तथ्य मिथ्या होना, भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के तहत आवंटन न होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानान्तर्गत नियमन किया जाना, नियमानुसार नामान्तरकरण खोला जाना, नामान्तरकरण के 45 वर्ष उपरान्त अपील पेश किये जाना, नियमन खारिज योग्य न होना, जिला कलक्टर का आदेश प्रकरण मे प्रभावी/चस्पा न होना आदि अवगत कराते हुये अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने की मांग की।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स की अपील, नामान्तरकरण की प्रति एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यो पर गंभीरता से मनन किया। नामान्तरकरण संख्या 225 की प्रति के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि मिसल संख्या 34/1972 दिनांक 11.05.1975 से बाड़ा नियमन होने से साबिक बिलानाम काबिल काश्त भूमि को निःशुल्क विपक्षी संख्या 1 श्री परवत सिंह पिता डूंगर सिंह राजपूत के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा साबिक आराजी संख्या 473/1 मीन के हाल आराजी नंबर 566 रकबा 0.0500 हेक्टेयर बनना बताया है, किन्तु मिलान खसरा आदि की प्रति पत्रावली पर मौजुद नही है। अपीलान्ट्स का कथन है कि उक्त बाड़ा विपक्षी संख्या 1 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के तहत आवंटित किया गया है एवं ऐसी भूमि अधिकार के रूप मे नही मानी जायेगी, किन्तु प्रकरण मे उक्त बाड़ा भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के तहत आवंटित किया गया हैं अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानान्तर्गत

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.12.01 17:44:31 IST
Reason: SelfAttested

नियमन किया गया है स्पष्ट नही है। इसके समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है एवं न ही अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा इसकी पुष्टि स्वरूप मिसल संख्या 34/1972 की प्रति संलग्न की है। जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश क्रमांक प.12/3(6) राज/परिपत्र/07/1144 दिनांक 26.02.2007 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्थान भू राजस्व (सग्रंह स्थलो हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार किये गये आवंटन के लिये प्रभावी है, जबकि प्रकरण मे नामान्तरकरण की प्रति मे नियमन का उल्लेख किया गया हैं। अतः प्रकरण मे अपीलान्ट्स का यह दायित्व था कि या तो वह नामान्तरकरण की प्रति के साथ अपील के समर्थन मे पत्रावली संख्या 34/1972 की प्रति दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे पेश करता अथवा नियमन पत्रावली संख्या 34/1972 मे पारित निर्णय दिनांक 11.05.1975 के विरूद्ध आवश्यक चाराजोही करता। नामान्तरकरण अपील की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है एवं प्रकरण मे अपीलान्ट्स क्लीन हेण्ड नही आये है। इस प्रकार समग्र तथ्यो के विवेचन उपरान्त अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 225 दिनांक 12.07.1977 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.12.01 17:44:31 IST
Reason: SelfAttested